न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 62/2018

अनवान :

1. बलवंतराम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री लिछीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मेघाना तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री श्याम सुन्दर शर्मा : वादीगण

निर्णय **दिनांक : 1.6.18**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 32/29 के खसरा नं0 401 की 3.7310 है0 बारानी, खसरा सं0 401/1 की 0.4430 है0 बारानी एवं खसरा सं0 421 की 14.5430 है0 अर्थात् तीनों खसरों की कुल 18.7170 है0 बारानी कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपर वर्णित भूमि प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश को अपने पिता लिछीराम से विरासतन प्राप्त हुई जो महज कर्ता खानदान होन के कारण प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 सुमन का प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के साथ जन्म से हक व हिस्सा बराबर निहित है।

प्रतिवादी सं0 2 सुमन व पक्षकारान ने आज से करीब तीन वर्ष पूर्व आपस में घरेलु मौखिक बंटवारा कर लिया और प्रतिवादी सं0 2 सुमन ने अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 जो उसके पिता व भाई है के पक्ष में तर्क कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया और कब्जा भूमि मौका पर सौंप दिया। इसके पश्चात् भूमि को वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण ने इकबालदावे पेश किये जो बाद तस्दीक शामिल मिसल है।

साक्ष्य वादीगण में कैलाशचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम

सहायक कलक्टर
भादरा (हनु.)

मलसीसर खाता सं0 32/29 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 2, फोटो प्रतिप्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2038 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2043 प्रदर्श 4, 5, 6 प्रदर्शित करवाई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो फोटो प्रतिप्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2038 प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मलसीसर सम्वत् 2043 प्रदर्श 4, 5, 6 प्रदर्शित करवाई है उनमें कृषि भूमि वादी के दादा लिछीराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रदर्शित असल प्रति सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में ओमप्रकाश के मौजूदा वारिसान में दो पुत्र बलवन्तराम, कैलाशचन्द व एक पुत्री सुमन होना व इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना दर्शाया गया है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 32/29 के खसरा नं0 401 की 3.7310 है0 बारानी, खसरा सं0 401/1 की 0.4430 है0 बारानी एवं खसरा सं0 421 की 14.5430 है0 अर्थात् तीनों खसरों की कुल 18.7170 है0 बारानी कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग की है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 62/2018

अनवान :

1. बलवंतराम पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. कैलाशचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

- वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री लिछीराम जाति ब्राहम्ण निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मेघाना तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्याम सुन्दर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रंस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 32/29 के खसरा नं0 401 की 3.7310 है0 बारानी, खसरा सं0 401/1 की 0.4430 है0 बारानी एवं खसरा सं0 421 की 14.5430 है0 अर्थात् तीनों खसरों की कुल 18.7170 है0 बारानी कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के अकेले प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादिया सं0 2 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग की है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय स्टाम्प ड्युटी व पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 1.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़